

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 134,
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2000—फाल्गुन 20, शक 1921

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र. एफ. सी. 3-3-2000-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तः स्थापित किए जाए, अर्थात्:—

- “(5) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.
- (6) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र. सी. 3-3-2000-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी. 3-3-2000-3-एक, दिनांक 10 मार्च 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 10th March 2000

No. F. C. 3-3-2000-3-Ek.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (4) of rule 6 the following sub-rules shall be inserted, namely:—

- “(5) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has married before the minimum age fixed for marriage.
- (6) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom in born on or after the 26th day of January, 2001.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Dy. Secy.